विधेयक, 2018 जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल),
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2018 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2018 है।

2. **धारा 3 का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) में,–

(क) द्वितीय परन्तुक के खण्ड (ख) में, "ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी सहकारी बैंक जिसका मुख्यालय राज्य में हो या किसी'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, "भूमि अर्जन अधिनियम, 1894" शब्दों, चिन्ह और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों के हित में भूमि के अन्तरण को विनियमित करता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक ऐसे व्यक्तियों द्वारा सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी, जिसके समस्त सदस्य अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं, से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि का बन्धक रखा जाना अनुज्ञात करता है, किन्तु ऐसे समुदाय से सम्बन्धित व्यक्ति किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि को बन्धक नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से या राज्य के सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की अपेक्षा को पूर्ण करना पड़ता

है। धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्ति को पूर्वोक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है जो अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है और जिससे अत्यधिक असुविधा होती है। यहां तक कि अनुसूचित बैंकों को भी इस उपबन्ध के कारण राज्य में ऐसे समुदाय के सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, इस कठिनाई को दूर करने के आशय से, पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है ताकि अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य, किसी सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी के अतिरिक्त अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य में सहकारी बैंकों से, बन्धकस्वरूप ऋण प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस प्रभाव का 2016 का संशोधन विधेयक संख्यांक 22, विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था और जिसे उस द्वारा तारीख 23–12–2016 को पारित किया गया था। यह विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा गया था। तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में पारित विधेयक में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। अतः उक्त विधेयक को वापस लिया गया था और भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव प्रस्तावित विधान में समाविष्ट किए गए हैं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डॉ0 राम लाल मारकण्डा)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : , 2018

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 9 OF 2018

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGULATION) AMENDMENT BILL, 2018

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No. 15 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Act, 2018.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968, in sub-section (1),—

(a) in second proviso, in clause (b), after the words and sign "for securing loan, to any", the words and signs "Scheduled Commercial Bank or to any Co-operative Bank, having its headquarter within the State or to any," shall be inserted; and

(b) in third proviso, for the words, sign and figures "Land Acquisition Act, 1894", the words, signs and figures "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013," shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 regulates the transfer of land in the State of Himachal Pradesh, in the interest of persons belonging to Scheduled Tribe. Further second proviso to sub-section (1) of section 3 of the Act allows mortgage of land by such persons for securing loan from Co-operative Land Mortgage Bank or any Co-operative Societies, all members of which are Scheduled Tribes but persons belonging to such community cannot mortgage their land for securing loan from any Scheduled Commercial Bank or Co-operative Bank of the State. In case, such person intends to secure loan from any Scheduled Commercial Bank or Co-operative Bank of the State, such person will have to meet the requirement of sub-section (1) of section 3 of the Act. For obtaining approval of the State Government under sub-section (1) of section 3, a person belonging to Scheduled Tribes has to follow the procedure laid down under the Act *ibid.* and the rules made thereunder which is a time consuming process and causes great inconvenience. Even Scheduled Banks are also facing great hurdle in extending credit facilities to the members of such community in the State due to this provision. Thus, in order to overcome this difficulty, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid.* So that the members of the Scheduled Tribe community may be able to secure loan from the Scheduled Commercial Banks and Co-operative Banks in the State, in addition to any Co-operative Land Mortgage Bank or any Co-operative Society, by way of mortgage. An amendment Bill No. 22 of 2016 to this effect was introduced and passed by the Legislative Assembly on 23-12-2016. This Bill was reserved for Presidential assent by the Governor. However, the Government of India has suggested some amendments in the Bill passed in the year, 2016. Hence, the said Bill was withdrawn and the suggestions given by the Government of India have been incorporated in the proposed legislation. This has necessitated amendments in section 3 of the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. RAM LAL MARKANDA)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The , 2018

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 31st *August,* 2018

No. HFW-B(A)2-8/2018.—In exercise of the powers conferred by section-23 of the Himachal Pradesh Nurses Registration Act, 1977, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the following Bye-Laws in the e-gazette of the Himachal Pradesh Government:—